असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 जुलाई, 2019

हम सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस पदाधिकारी एवं हत्यारे पर कार्रवाई करते हुए निर्दोष लोगों को दोषमुक्त किया जाए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के बीच स्थित बलान नदी सूखी है, जबकि बूढ़ी-गंडक नदी में भीषण बाढ़ । हमारी मांग है कि बछवाड़ा स्थित सुलिस गेट दिये जाए ताकि बलान का बड़ा क्षेत्र जो सुखा है को जल मिल जाय एवं बूढ़ी गंडक के जल स्तर में कमी आए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष : उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 4257 अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है लेकिन पंचम शिक्षक नियोजन के पश्चात् इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा ।

अतः सरकार कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियोजित शिक्षक के पद पर समायोजन करे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, एक सूचना है ....

अध्यक्ष : क्या सूचना है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के बिहटा प्रखंड में चार पंचायत है हुजूर-अमहरा, राघोपुर, श्रीरामपुर एवं बिहटा । इन पंचायतों को नगर पंचायत में लेने का प्रस्ताव आया है दो-तीन साल पहले ...

अध्यक्ष : ठीक है, बता दिये न ।

श्री भाई वीरेन्द्र : लेकिन वहां जो है इंदिरा आवास, वहां के पंचायत के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहा है । इसको सरकार देखवा ले ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

सर्वश्री भोला यादव, आलोक कुमार मेहता एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण <u>सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना श्री भोला यादव एवं अन्य से प्राप्त सूचना जो पढ़ी गई है, उसका उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सरकारी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक राज्य के अन्दर या बाहर के प्राइवेट महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक की अपेक्षा कम रहता है ।

प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की लंबी एवं जटिल प्रक्रिया (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) एवं इसके माध्यम से आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने में काफी समय लगने को ध्यान में रखते हुए राज्य हित में यह निर्णय लिया

गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सक, कृषि पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी तथा कतिपय अन्य तकनीकी पदों, जहां नियुक्ति हेतु अर्हता कोई प्रोफेशनल डिग्री है, पर नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं कर अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाय । इस निर्णय से नियुक्ति की प्रक्रिया कम समय में पूरी की जा सकेगी और राज्य सरकार के अन्तर्गत रिक्त तकनीकी पदों पर शीघ्र योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो पायेंगे जिससे राज्य की विकास योजनाओं पर त्वरित निष्पादन संभव हो पायेगा ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी, जिन बातों को कह रहे हैं, इसमें बिहार से बाहर के बच्चे ज्यादा सीट कब्जा कर ले रहे हैं यदि प्रतियोगिता परीक्षा होती तो निश्चित तौर से हमारे बच्चे उसमें ज्यादा पास करते और रही बात यह सरकारी स्कूल में कह रहे हैं कि मार्क्स अच्छा आता है, अधिक आता है, यह कहीं न कहीं विभाग के द्वारा इनको गलत डाटा दिया गया है । बिहार का जो सिलेबस है, उसमें बच्चों का मार्क्स कम उठता है और बिहार से बाहर का जो सिलेबस है, उसमें मार्क्स अधिक उठता है, जिसके कारण हमारे बच्चे मार्क्स में पिछड़ जाते हैं और अधिकांश नौकरियां इन्टरव्यू में मात्र 20 प्वायंट है और 80 प्वायंट एकेडेमिक है तो निश्चित तौर से बाहर के बच्चे ज्यादा ले जाते हैं नौकरी और उससे हमारे राज्य को घाटा हो रहा है .....

अध्यक्ष : सुझाव और पूरक ।

श्री भोला यादव : महोदय, मेरा सुझाव और पूरक एक ही है कि क्या राज्य हित में राज्य के अभ्यर्थियों के हित में माननीय मंत्री जी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स हैं और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के जो टीचर्स हैं, उनको उन पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा लाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : उसको उन्होंने बता दिया ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि मेडिकल में, पशु चिकित्सक में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही उसमें शामिल किया जाता है और प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद उसमें मेडिकल और पशु चिकित्सक बनकर निकलते हैं । इसीलिए सरकार ने सरलीकरण किया है कि माननीय सदस्यों की चिन्ता देखते हैं हाऊस में कई प्रश्न आते रहते हैं कि वहां डॉक्टर नहीं हैं, वहां पर पशु चिकित्सक नहीं हैं, इसलिए इसको ध्यान में दृष्टिगत किया है सरकार ने, जल्द से जल्द जो खाली जगह है, उसको भरा जाय और सरकार ने कोशिश किया है महोदय कि जल्द से जल्द उन

जगहों को भरा जाय और राज्य की जनता को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

श्री भोला यादव : महोदय, कल भी जो मेरा अल्पसूचित प्रश्न था लोकल रिजर्वेशन का, यह वही विषय पर आकर हमलोग अटक रहे हैं । हमारे सीटों को दूसरे राज्य के बच्चा ले जा रहे हैं । माननीय मंत्री जी केवल सब्जबाग दिखा रहे हैं, आखिर हमारा नौकरी दूसरा ले जायेगा, उसको बचाने का इनके पास क्या योजना है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिन्ता सिर्फ इतनी है कि जो तकनीकी सेवाओं में तकनीकी डिग्रियां हासिल करके लोग आवेदन देते हैं, उसमें बिहार से बाहर के जो प्राइवेट चाहे कोई टेकनिकल इन्स्टीच्यूशन हो, उससे जो आते हैं, वहां पर मार्किंग बहुत लिबरल की जाती है । हमारे यहां सरकारी कॉलेजेज है, जितने टेकनिकल कॉलेजेज हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल के, उसमें थोड़ा मार्किंग पैटर्न सख्त होता है । केवल मार्क्स बेसिस कर देने से वो इमबैलेंस जो आता है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं । अगर निजी संस्थानों के निजी मेडिकल कॉलेजेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज के स्टुडेंट जहां पर मार्क्स बहुत ही उदारता पूर्वक दिया जाता है तो हमारे बच्चे कहीं पिछड़ नहीं जायं मेरी समझ से यही आपकी चिन्ता है ।

श्री भोला यादव : जी, महोदय, यही मेरी चिन्ता है ।

अध्यक्ष : देखना चाहिए, देख लीजियेगा ।

श्री भोला यादव : महोदय, इसपर नये सिरे से जवाब मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया अपने उत्तर में इन चीजों को, इनकी चिन्ता है कि बाहर के लोग लेकर जाते हैं तो सरकार राज्य हित में राज्य के बच्चों के हित में जहां हमारा मानवसंसाधन का जो सूचकांक है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि यहां पर कितने गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 85 फिसदी या 90 फिसदी सिर्फ बिहार के लिए अहर्तायें फिक्स करेंगे, यह जानना चाहते हैं महोदय ?

अध्यक्ष : यह तो सरकार बता चुकी है ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, कहां बता पायी है ।

(व्यवधान)

श्री भोला यादव : महोदय, सरकार के तरफ से एक सकारात्मक जवाब तो दिलवा दीजिए ताकि आने वाले कल में वे लायेंगे या आसन से ऐसा कुछ निदेशित कर दें ।

अध्यक्ष : भोला बाबू, सरकार को सकारात्मक रूख रखने के लिए हमने तो आसन से बता दिया है तो उनसे हम क्या कहवा दें ।

टर्न–10/शंभु/24.07.19

अध्यक्ष : श्रीमती अनिता देवी एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना । श्रीमती अनिता देवी सूचना पढ़ें, नहीं हैं । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्रीमती अनिता देवी, श्री समीर कुमार महासेठ एवं अन्य सात सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, झारखण्ड बंटवारे के बाद मत्स्यपालन राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक बड़ा कारक है । मत्स्यपालन पूर्णतः मौसम पर आधारित होता है जहां एक तरफ सुखाड़ की स्थिति में तालाबों का पानी सूख जाने के कारण मछलियां मर जाती हैं वहीं बाढ़ आने पर मछलियां पानी के साथ बह जाती हैं । दोनों ही स्थितियां मत्स्यपालकों के लिए भयावह होती है । यह संकट प्रत्येक वर्ष मत्स्यपालकों के समक्ष उत्पन्न होता है और वे किसी न किसी आपदा चाहे वह सुखाड़ हो या बाढ़ प्रभावित होते हैं । आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तालाबों के सूख जाने से अथवा पानी भर जाने से मछलियों के नष्ट होने को प्राकृतिक आपदा में सूचीबद्ध नहीं किये जाने के कारण राहत राशि मत्स्यपालकों को नहीं मिलती है । इससे मत्स्यपालक वर्ग मत्स्यपालन के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं जिसके कारण मछलियों का अन्य राज्यों से आयात करना पड़ रहा है ।

अतः बाढ़ एवं सुखाड़ से मछलियां नष्ट होने को प्राकृतिक आपदा घोषित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, वर्ष 2015–20 तक के लिए दिनांक 01.04.15 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित सहाय्य मानदर के अनुरूप सहाय्य मुहैय्या कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1973, दिनांक 26.05.2015 द्वारा मानदर निर्गत है । यह मानदर भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), नई दिल्ली के पत्र सं0–32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में निर्गत किया गया है । इसके अनुसार बाढ़ एवं सुखाड़ से मछलियों के नष्ट हो जाने पर मुआवजा देने का